# The Gazette of India

असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग III — खण्ड 4 PART III — Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36 ] No. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2002/फाल्गुन 20, 1923

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2002/PHALGUNA 20, 1923

#### प्रसार भारती

( भारतीय प्रसारण निगम )

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2002

सं. एन-10/9/2001-पी.पी. सी. — प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की थारा 9 की उपधारा (2) से पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निगम, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ समृह ''घ'' पद) सेवा विनियम, 2002 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आरंभिक गठन :— सभी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व समूह ''घ'' पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन समूह घ कर्मचारीवृंद के रूप में नियुक्त किए समझे जाएंगे। इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा को अगली श्रेणी में प्रोन्नित आदि के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया जाएगा।
- 3. पद संख्या और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु.सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।
  - निर्रहता: वह व्यक्ति —
  - (क) अजिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है य या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

809 GI/2002

. समा पद पर निथ्नित का पात नहीं होगा :

परन्तु थपि विगम को गृह समाधान हो जाता है कि ऐसा मिलाह ऐसे व्यक्ति और मिलाह के जन्म मक्षकार को लागू स्वीम विधि के अर्थान अनुजोग है और ऐसा करने के लिए अन्य जाधार है हो वह किसी व्यक्ति को इस निमम के प्रवर्तन से खूट है सकेंगी।

- 6 शिथिए करने की शिवत : जहां निगम की मह राग है कि ऐ.सा करना आवश्यक मा समीजीन है, वहां वह दसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखकड़ करके केन्द्र सरकार के प्वित्पियन से आदेश हाग किन्हीं व्यक्तिमीं की किसी बेणी अथवा वर्ग अथवा यहां से संबंधित इन विनियमीं के किसी भी उपबंध को शिथिए कर सकेगी।
- तिर्श्वचप : शिव, इव विविश्वमों के विर्श्वचन से संबंधित कोई प्रश्न बढ़ता है, तो विविश्चय के लिए केन्द्र सरकार की निर्दिष्ट किया णाएगा।

			<b>અનુવ</b>	네		
पद का नाम	पदों की संख्या	भेतनमान	नीम्बता के जाभार पर संधन था संधन खंह जमेष्टता के आधार पर संधन	सीमी भर्ती के स्तिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के व्यिए अमेकित शैक्षिक और अव्य असेताएं	सीधी भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए निष्टित आयू और फींक्षक अहंताएं प्रोन्नित की दश में भी लागू होंगी या नहीं
1	2	à	4	6	6	7
ा. पुस्तकालय परिचर	*26 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2650 65 3300 70 4000 T.	चगन धह ज्येष्टत।	लागु नहीं होता	लागु नहीं होता	लाग् नहीं होता

परिलीका अलांध गाँद कोई हो	भती की पद्धति	श्रेणी जिसमें प्रोत्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है तो उसकी संस्वता
	ý	10	11
	100 प्रतिशत प्रोन्नति प्रारा	2610-60-3150-65-3540 क. चेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले दपतरी/दफ्तरी-सह गैस्टेटनर ऑपरेटर/स्टुडियो परिचर। ऐसा न होने की स्थिति में क. 2550-55-2660-60-3200 चेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले चपरासी।	पदौनित/पृष्टिकरण के लिए :  *1. आकाशवाणी/दृरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता/सहायक केन्द्र निदेशव अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—अध्यक्ष *2. उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—सदस्य  *3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखकार—सदस्य  * केन्द्र के ज्येष्टतम प्रमुख अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

भाग [[]—खा	794]		भारत का र	जिपत्र : असाधारण	3		
1	2	3	4	5	6	7	
।. स्टुडियो	*59	2650-65	चयन-सह-ज्येष्ठता	25 वर्ष (भारत र	 राकार मिडिल स्तर की परं	क्षा नहीं	
गरिचर	(2001)	3300-70-		द्वारा समय-समय		6.0	
9)	*कार्यभार	4000 ₹.		जारी आदेशों के			
	के आधार			अनुसृचितं जाति/	•		
	पर परिवर्तन			अनुसृचित जनज		1 611	
	किया जा			अन्य विशेष श्रेणि			
	सकता है।			मामले में शिथिल			
				जा सकती हैं)			
8	9		10		. 11		
एक वर्ष	प्रोन्नति द्वा	रा ऐसा न हो	प्रोन्नति— उसी कार्यात	नय में कार्यरत	1. कार्यालय/केन्द्र का प्रमुख	— अध्यक्ष	
		स्थानातंरण	स्टुडियो गार्ड और दप	त्तरी	2. उप निदेशक—सदस्य (स		
	द्वारा। दोनों		स्थानांतरण—आकार	वाणी/दूरदर्शन	विदेश सेवा विभाग के		
1	सकने पर	सीधी भर्ती	के अन्य केन्द्रों में का	र्गरत स्टुडियो	निदेशक/सहायक केन्द्र		
	द्वारा।		परिचर		सहायक केन्द्र निदेशक/		
					केन्द्र प्रभारी हों वहां किसी		
					सहायक अभियंता को		
9	8				सकता है।)	1444 M 14741 40	
	120		¥		3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान	लिपिकः (जहां प्रणासन	
					अधिकारी/मुख्य लिपिक		
					अधिकारी को सहयोजित	किया जा सकता है जिसे	
					अभ्यर्थियों के काम की र	ानमा जा समाता है।जस तानकारी हो )—सटस्य	
						(14)(16) (14)	
1	2	3	4	5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 7	
3. रिकार्ड	*2	2650-65	। चयन-सह-ज्येष्ट	जा लाग नहीं होता	लागू नहीं होता	तागू नहीं होता	
सार्टर	(2001)	3300-70-			. And ter ever .	તાં, તે હા હાલા	
	*कार्यभार	4000 ₹.					
	के आधार			(8)	*		
	पर परिवर्तन	•	14				
	किया जा						
	सकता है।						
	•		4	•			
. 8		9	10		11		
शून्य	100 प्र	तेशत प्रोन्नति	ग्रेड में दफ्तरी के प	सद पर तीन वर्ष	आकाशवाणी/दूरदर्शन	महानिवेषात्वर के दि	
	द्वारा		की नियमित सेवा		विभागीय प्रोन्ति समिति	ः—	
					*1. उपनिदेशक (प्रशासन		
	*				*2. उप निदेशक (प्रशास	न)—सदस्य	
				-	*3. अनुभाग अधिकारी		
	12		. *		—सदस्य	र स्वाचारा ५ जातुनान	
					*1. आकृाशवाणी कार्याल	य/केन्द्र में सहायक के	
				-	अभियंता/सहायक के	न्द्र निदेशक अथवा समक	

सहायक केन्द्र निदेशक अभियंता/सहायक केन्द्र

—अध्यक्ष

निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी-

mit 111 4411	41		1111	। को धन्नक । नहांबाह्य		
भाग । ।। व्यापन	•1		***************************************	। का सम्बद्ध व्यवस्था	निष्पादक अथवा व (3) प्रशासन अधिकारी आकाशवाणी/तृरत्रश्री *1, बपनिदेशक (प्रशा *2, डप निदेशक (प्रश *3, अनुभाग अधिकार्र	पहायकः जीभयंगा/कार्यक्रम प्रमक्षा द्याः का अभिकारी प्रदृष्य /प्रभान लिपिक/लेखाकाः — स्दृष्य न प्रहामितेशालय के लिए (म्राजालय) — न्रष्यक्ष (स्त्र) (म्राजालय) — स्दृष्य (कर्मचारी 5 अनुभाग) — स्दृष्य प्रशासन), आकाशवाणी द्वारा
					वासित किए जाएँगै	
1	2	3	4	5	6	7
ह दण्तरी सह मेस्टेटनर आपरेटर	*1 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60 3150-65 3540 ₹.	चयन शह ज्येष्टता	लागू नहीं होता	लापू नहीं होता	लागू नहीं होता
T. (1-10) B. (10) B. S. (1)					44	
8	9	- A N	10	n N worder words	ारिक्याच्या के विवार :	
लागू पहीं होता	100 प्रतिश द्वारा	त प्रान्नति		य में कार्यरत चपरासी में तीन वर्ष की निय- ो की हो।	सहायक केन्द्र निर्देशक अथवा र विदेशक अथवा र (2) उस कार्यालय में	दर्शन के कार्यालय/केन्द्र में शक अभियंता/सहायक केन्द्र मिकक्ष स्तर का अधिकारी— अथ्यक्ष सहायक अभियंता/कार्यक्रम
					*	पर्मकक्ष स्तर का अधिकारी— सदस्य ो/प्रधान लिपिक/लेखाकार—
			39		(३) प्रशासन आचकार	
			*	*	*1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश	री (कर्मचारी 5 अनुभाग)—
was a substantial and affects					<ul> <li>उप महानिदेशक नामित किए जाएं</li> </ul>	सदस्य (प्रशासन), आकाशवाणी द्वार गे।
	3					
1 7. सार्टर	2 *22 (2001) *कार्यभार के आधार पर	3 2610-60 3150-65- 3540 रू.	4 योग्यता के आधार पर चयन	5 लागू नहीं होता	हागू नहीं होता	7 लागू नहीं होता
	परिवर्तन किया जा सकता है।	8				

भाग ।।। स्वाप	41		*1140	। यह राजपत्र । अस्तानारण		
1	2	3	4	5	6	1
रफाईनाला ८. प्रमान	ै (2001) "कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हो।	2610-60 3150-65 3540-8.	मथन शह ज्येष्यता	त्याम् पहीं होता	लागुनहों सीता लागुन	हीं तीता
8	v		10		11	
Marie 1	प्राच द्वाच	तत् प्रोच्चित	2660 60 3		प्रोत्मति पृष्टिकरण के लिए ।  *1. आकाशवाणी दूर्यशेन के व सहायक केन्द्र अभियंता/सर अथवा समकत्त्र स्तर का अ  *2. उस कार्यालय में सहायक निष्मादक सदस्य  *3. प्रशासन अभिकारी/प्रभान । सदस्य आकाशवाणी/दूरदर्शन प्रतावि  *1. उपनिदेशक (प्रशासन)  *2. उप निदेशक (प्रशासन)  *3. अनुभाग अभिकारी (कर्यव्स्य  * संबंधित उप महानिदेशक ( किए णाएंगे।	शथक केन्द्र निरेशक भिकारी अध्यक्ष अभिर्मता/कार्यक्रम लिपिक/लेखाकार देशालय के लिए ध्यालय अध्यक्ष सरस्य वारी 5 अनुभाग)
T VATORICANI	2	3	4	5	0	7
11. चपरासी	*1019 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550 55 2660-60- 3200 ₹.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (35 वर्ष तक शिधलनीय टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित क के लिए विर्णायक तारी वह अन्तिम तारीख हो। जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	(क) होम गाई/सिनिल स्ते डिफेंस स्वयं सेवक के खिरूप में ३ वर्ष की सेवा;	नहीं
8	9	WE STEEL ST	10	a transferance of the contract of the second	11	
2 वर्ष	75 प्रतिशत द्वारा, 25 र स्थानांतरण	प्रतिशत	केन्द्रों/कार्थार पद पर कार्य चेतनमान च और जिन्होंने	काशवाणी के विभिन्न वयों में समूह (घ) रत व्यक्ति जिलका गरासी के समान है । 5 वर्ष की नियमित था जिन्होंने प्रारम्भिक	<ol> <li>केन्द्र/कार्यालय प्रमुख—अ</li> <li>उप निदेशक—(समाचार विदेश सेवा प्रभाग के मा निदेशक/सहायक केन्द्र सहायक केन्द्र निदेशक/ केन्द्र/कार्यालय प्रभारी हो</li> </ol>	सेवा प्रभाग अथवा मले में सहायक केन्द्र अभियंता) जहां सहायक केन्द्र अभियंत

7 वर्ष

14

10

शिक्षा प्राप्त की है और जो हिन्दी या अंदीजी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ना जानते हों । सबस्य नामित किया जाए। सबस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/| जहां प्रशासीनक अधिकारी/प्रधान लिपिक उपलब्ध न हो किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

स्तरम् रिप्पणी : ।— चपरासी के पत् पर व्यक्तियों की नियुक्ति होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने के वागित्व के अधीन होगी । इन विनियमों में किसी बान के होते भी, इन विनियमों के अधीन चपरासी के पत् पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को नीन वर्ष की अवधि के लिए हीम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेना होगा; परन्तु, कमोडेट जनस्ल होम गार्ड प्रशिक्षण के वौरान किसी व्यक्ति के अनुपालन और प्रशिक्षण के स्वर की ध्यान

में रखते हुए प्रशिक्षण की अवधि को कम करके हो वर्ग कर सकता है।

रिप्पणी: 2—यथासंभव है यह परिकल्पित किया जाता है कि सामान्यता प्रशिक्षण की अवधि कार्यालय समय से बाहर होगी। तथापि, यदि कर्मचारी को कार्यालय समय के हौरान प्रशिक्षण लेना अपेक्षित होगा तो प्रशिक्षण की अवधि को दुयूटी माना जाएगा। होम गार्ट संगठन के सदस्य के रूप में यदि किसी कर्मचारी का कार्यालय समय के हौरान प्रशिक्षण के अलावा कोई दुयूटी और कार्य करना आवश्यक होगातो अनुपरिश्वति की उस अवधि को विशेष आकश्यिक छुट्टी माना जाएगा। कर्मचारी को अपने सिविल बेतन के अलावा ऐसे भने लेने की अपुगति ही जाएगी जो होम गार्ड नियमों के अधीन उसे दिए जाएंगे। इसलिए उसे प्रशिक्षण अवधि के लिए या कोई अन्य हयूटी हैने के लिए, जो कि उसे होम गार्ड संगठन के सदस्य के रूप में देना अपेक्षित है, अलग से कोई दैनिक भना/यात्रा भन्ना नहीं दिया जाएगा।

इन विनियमों के अनुसरण में चपरासी के पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों के नाम नियोक्ता कार्यालय/विभाग द्वारा संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंधित कमांडेट जनरल को भेज दिए जाएंगे जिसे महानिदेशक, सिविल डिफेंस, गृह संत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में आवश्यक अंनुदेश जारी कर दिए गए हैं। होम गार्ड प्रशिक्षण की शर्त और निबंधन महानिदेशक, सिविल डिफेंस द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुदेशों के द्वारा शासित होंगी।

1	2	3	4	5	6	7
12. माली	*151 (2001) *कार्यभार के आधार	2550-55 2660-60- 3200 €.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	न्यूनतम आठवीं कक्षा पास बागबानी में प्राथमिक ज्ञान एवं कृषि की	लागू नहीं होता
W-004-7-4	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	č			पृष्ठभृमि हो।	
8	9		10		11	
2 वर्ष	100 प्रतिशत भर्ती द्वारा,	। सीधी	लागू नहीं होता।	•	<ol> <li>आकाशवाणी/दूरदर्शन के के सहायक केन्द्र निदेशक/सहा या समकक्ष स्तर का अधिक</li> <li>उस कार्यलय में सहायक अ निष्पादक या समकक्ष स्तर</li> <li>प्रशासन अधिकारी/प्रधान वि</li> </ol>	यक केन्द्र अभियन्ता गरी — अध्यक्ष भियंता/कार्यक्रम का अधिकारी
1	2	3	4	5	(पुष्टि आदि के लिए)	—सदस्य
13. फराश	*276 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	2550-55 2660-60- 3200 ₹.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	6 पांचर्वी कक्षा पास	7 लागू नहीं होता

0		THE	GAZETTEOFI	NDIA EXTRAORDI	NARY	[PART III — SEC 4]
	r-miliane.	-		5		•
				लिए नियत की अंतिम त	तरीख .	
				होगी) नियुक्ति रोजगार	कार्यालय	
				के माध्यम से की जानी	वाली	
				भर्ती की दशा में, आयु-		
				अवधारित करने के लिए	- <del>जिर्</del> णायक	
				तारीख वह अन्तिम तारी	म कोसी -	
				जिस तक रोजगार कार्या	ख्यामे नाम	
				भेजने के लिए कहा गया		
8	9		10		11	
वर्ष	100 प्रतिशत	सीधी	लागू नहीं होता		स्थायीकरण के लिए :	·
	भर्ती द्वारा				<ol> <li>आकाशवाणी/दूरदर्शन</li> </ol>	किकायालय/कन्द्रम
						न्ता/सहायक केन्द्र निदेशक
					अथवा समकक्ष स्तर	
					2. उस कार्यालय में सह	
					निष्पादक अथवा सम	कक्ष स्तर का अधिकारी
		-				—सदस्य —
					<ol> <li>प्रशासन अधिकारी/प्र</li> </ol>	धान लिपिक/लेखाकार —सदस्य
					आक्राणवाणी /रररर्थ	न महानिदेशालय के लिए
					The state of the s	सन्)-मुख्यालय — अध्यक्ष
					*2. उप निदेशक (प्रशा	
			102			(कर्म 5 अनुभाग) — सदस्य
						देशक (प्रशासन) द्वारा नामि
					किए जाएंगे।	
1 .	2	3	4	5	6	7
16. फराश	*276	2550-55	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच	5वीं कक्षा उत्तीर्ण	man and the
सह-सफाई	(2001)	2660-60-	होता		241 4001 00114	लागू नहीं होता
वाला	कार्यभार के	3200 €.				
	आधार पर					
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					
8	9		10		11	
२ वर्ष	100 प्रतिशत	सीधी	लागू नहीं होता		पुष्टिकरण के लिए :	
	भर्ती द्वार				1. आकाशवाणी/दूरदा	र्शन के कार्यालय/केन्द्र में
					सहायक केन्द्र अधि	भयन्ता/सहायक केन्द्र निदेश
					अथवा समकक्ष स	रकाअधिकारी —अध्य
					2. उस कार्यालय में र	पहायक अभियंता∕कार्यक्रम
					- निष्पादक अथवा	समकक्ष स्तर का अधिकारी
						- 11712
					<ol> <li>प्रशासन अधिकारी</li> </ol>	/प्रधान लिपिक/लेखाकार

411111111111111111111111111111111111111			भारत	का राजपत्र :	असाधारण 1
					11
					आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए *1. उपनिदेशक (प्रशासन)-मुख्यालय —अध्यश
					*2. उपनिदेशक (प्रशासन) — सदस्
					*3. अनुभाग अधिकारी (कर्म 5 अनुभाग) —सदस
					<ul> <li>संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामि किए जाएंगे।</li> </ul>
	2	3	4	5	6 . 7
<b>17. सुरक्षागार्ड</b>	*1130	2550-55	लागू नहीं	35 वर्ष	
	(2001)	2660-60-	होता	35 94	(1) भूतपूर्व सैनिक, जिसने लागू नहीं होत
	*कार्यभार के	3200 ₹.	XIIII		सशस्त्र, सेनाओं में कम से कम
	आधार पर	-			3 वर्ष की सेवा की हो तथा सेना
	परिवर्तन किया				से सेवा-मुक्ति प्रमाण-प्रत्र में
1	जा सकता है।				जिसके, चरित्र का आकलन बहुत अच्छा किया गया हो, या
					अच्छा किया गया हा, या (2) भूतपूर्व पुलिस कार्मिक जिसने
				v.	केन्द्र या राज्य पुलिस में कम से कम
					3 वर्ष सेवा की हो तथा सेवा-मुक्ति
					ंप्रमाणत्रपत्र में जिसके चरित्र का
			*:		आकलन बहुत अच्छा किया गया हो।
8	9		10		
1 वर्ष	100 प्रतिशत	सीधी	लागू नहीं होता		11
	भर्ती द्वारा		THE TOTAL CHAIN		पुष्टिकरण के लिए
				~	1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में
					सहायक केन्द्र अभियन्ता/सहायक केन्द्र निदेशक
•					अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी — अध्यक्ष
					2. उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम
					निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी
					– सदस्य
			*		<ol> <li>प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार</li> </ol>
	100				—सदस्य आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए
					*1. उपनिदेशक (प्रशासन)–मुख्यालय — अध्य
					*2. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस
				8	*3. अनुभाग अधिकारी (कैर्म 5 अनुभाग) —सदस
					<ul> <li>संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामि</li> <li>किए जाएंगे।</li> </ul>
					अनिल बैजल, कार्यकारी सदस्
					[ सं. विज्ञापन-III/IV/असाधारण/163/01

#### PRASAR BHARATI

### (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

#### NOTIFICATION

# New Delhi, the 11th March, 2002

No. N=10/9/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by 33 read with sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Group 'D' posts) Service Regulations, 2002.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Initial Constitution.—All persons appointed at the commencement of these rules holding the posts of Group 'D' on regular basis shall be deemed to have been appointed as Group 'D' employees under these rules. The service tendered by them before the commencement of the rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc. to the next grade.
- 3. Number of posts and scales of pay.—The number of posts and their scales of pay shall be as specified on columns (2) and (3) of the schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (4) to (11) of the said Schedule.
  - 5. Disqualification.—No person,—
  - (a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from

- 6. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by category of persons or posts and also with the approval of the Central Government.
- 7. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be referred to the Central Government for its decision.

#### SCHEDULF.

Number of post	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-	Age limit for direct recruits
		cum -seniority	of unect recruits
2	3	A	4
36* (2001) *(Subject to variation dependant on workload)	Rs. 2650- 65-3300- 70-4000	Selection-cum- Seniority	5 Not applicable
* v d	(Subject to ariation ependant on	(Subject to 65-3300- ariation 70-4000 ependant on	(Subject to 65-3300- Selection-cum- ariation 70-4000)

14	TI	IE GAZETTE OF INDIA EX	TRAORDIN	IARY	[PART III—SEC. 4]
1	2	3	4		5
3. Record Sorter	2* (2001) *(Subject to variation dependant on work load)		election-cur eniority	n- ,	Not applicable
					9
6 Not applicable	N.	7	8 Nil		100% by promotion
прриодоте	N	ot applicable	- 144		
	10			11	
Daftry with three	years regular service	in the grade.	of Akast	vani/Doordarsi	
			(	Chairman	ministration (Headquarters)
			*(3) Sec	tion Officer (Sta	lministration — Member aff-V Section) — Member
					kashvani/Kendra :
			- Dir	ector or an offic	Engineer/Assistant Station eer of Equivalent rank in the eashvani — Chairman
				sistant Engine Member	eer/Programme Executive
				ministrative Off Member	ficer/Head Clerk/Accountant
			* To	be nominated dministration)	by Deputy Director General Akashvani.
1	2	3	4		5
4. Studio	23*(2001)	Rs. 2610-	Selection-	zum-	25 years (relaxable in the
Guard	*(Subject to variation	60-3150-	Seniority		case of Schedule Castes and
	dependant or	65-3540			Schedule Tribes and other
	work load)	•			special categories in accor-
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				dance with the orders issued
					by the Government of India from time to time).
6		2			wom and to time).
Middle School S	Standard	No However in second		8	9
pass, well built,		No. However in case of deputation maximum age	Tv	o years for	By promotion failing
able to speak ar		limit is 55 years as on	di	rect recruits	which by transfer, failing
stand English		date of receipt of applicatio	n		both by direct recruit- ment.
	10			- 11	
	ons in the Station/O	ffice of Akashvani/	(1)		Ore
Doordarshan. Transfer: Stud Akashvani/Doo	dio Guards from othe ordarshan.	er Stations/Offices of		Service Division Assistant Stati Engineer/(who	Office/Kendra— Chairman r (in Member the case of New r and External Service Division on Director/Assistant Statio are Assistant Station Directo
-				Assistant Stati	ion Engineer is incharge of

8

Nil

100% by promotion

# Scanned by CamScanner

6

Not applicable

work load)

Not applicable

111 11 Proposed the community and three tears regular settles For promotion/confirmation: mens and m (11 Assistant Station Ungineer/Assistant Station l the der of an affice, of equivalent rank in the ntti-e/station of Abashvani/Doordarshan (4) Assistant Engineer/Programme Essentive or an officer of equivalent rank in that office. Member (1) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant Member for Directorate of Aleashvani/Doordarshan: \*(1) Deputy Director Administration (Headquarters) Chanman \*(3) Deputy Director Administration Member \*(1) Section Officer (Staff V Section) Member In he nominated by Deputy Director General (Administration) 4444 \*\*\*(\*(\*)1) Ha Jolf Melection In Not applicable \*(Subject to (11) (11) 1111411 variation 117 17 111 dependant on work head) Nis apply white Not applicable I'vo years By promotion 10 11 Promotion from amongst Posits with at least 4 years regular Station Director service in the grade in the Station Kendra concerned Chairman Audience Research Officer Member One outside to be associated locally by Station Director/TV Contro Member 1 4 N Laffman Rx 2010-Not applicable Helow 25 years (0) 11 (0) 65.1540 Should be conversant with Not applicable Six months the exercises of cherical 100% by direct recruithills 11 New applicable Not applicable

[ भाग []] - खाण्ड 4 ]		भारत का राज	तपत्र : असाधारण		
l	2	3	4	5	
9. Gestetner	*10 (2001)	Rs. 2610-	Selection-cum-	Not applicable	
Operator	*(Subject to	60-3150-	Seniority .	Not applicable	
(Junior	variation	65-3540	Semonly .		
Scale)	dependant on work load)				
6		7	8	9	
Not applicable	No	tapplicable	Nil	100% by promotion	
	0			11	
Peons in the same of	office in scale of Rs. 25	50 55 2660 60 2200	T		
with 3 years regula	ar service in the grade the duplicating mach	and having profi	Director or the offices —Chairman	station Engineer/Assistant Station an officer of an equivalent rank in s/stations of Akashvani/Kendra	
585 G			officer of equ	uivalent rank in that office—Member	
			*(3) Administra Member	tive Officer/Head Clerk/Accountant	
			For Directorate	of Akashvani/Doordarshan:	
7	, <del>g</del>		@(I) Deputy Administr	Director (Headquarters) ation — Chairman	
	). <del>-</del>		(2) Deputy Di	rector Administration — Member	
				fficer. (Staff V Section) - Member	
			* To be non	ninated by the Senior most Station or Station Director.	
			@ To be not Director O	minated by the concerned Deputy general (Administration).	
l	2	3	4 .	5	
0. Head Safaiwala	*2 (2001) *(Subject to variation	Rs. 2610- 60-3150- 65-3540	Selection-cum- Seniority	Not applicable	
	dependant on work load)				
6		7	8	9	
ot applicable	Not	applicable	Nil	100% by promotion	
10				11	
afaiwala in the grac ears of regular serv	de of Rs. 2550-55-266 vice in the grade.	0-60-3200 with three	the offices/	Station Engineer/Assistant Station an officer of an equivalent rank in station of Akashvani/Doordarshan	
			*(2) Assistant	Engineer/Programme Executiv —Membe	

*** X *** ****	THI	GAZETTE OF INDIA	EXTRAORDINARY	[Paki III Nei 4]
				<u> </u>
			*(3) Administrat	uve Officer/Head Clerk/Accountant — Member
			For Directorate	of Akashvani/Doordarshan
			*(1) Deputy Dire	ector (Headquarters) Administration — Chairman
			*(2) Deputy Dire	ector Administration — Member
				icer. (Staff V Section) — Member
				minated by the concerned Deputy General (Administration).
1	2			
11 Peon	*1019 (2001)	3	4	5
	*(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 35 years)  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit names.
6	-			натыя
Middle School Sta	7		8	9
pass.  Desirable qualifie (a) 3 years service Guard/Civil Defen Volunteers and	cations :		Two years	. 75% by direct recruit- ment, 25% by transfer
(b) Training in at 'Basic' and 'Refre courses in the Ho Guards and Civil Defence.	sher'			
]	10			
Transfer:				11
Persons holding Group 'D' posts at the stations/offices of Akashvani/Doordarshan having the same pay scale as that of Peon and who have put in minimum five years regular service and having at least elementary literacy and ability to read either English or Hindi or Regional Languages.		Division of Station I (where A Station E one of the Engineer o	ne Station/office — Chairman Director (in case of News Service or External Service Division/Assistan Director/Assistant Station Enginee Assistant Station Director/Assistan Engineer incharge of a Station/Office he Programme Executive/Assistant r may be nominated — Member Strative Officer/Head Clerk (where	

Note 1: Liability of persons appointed as Peons to undergo training as Home Guards. Notwithstanding anything training as a Home Guard for a period of three years; provided that the Commandant General, Home Guards may reduce such period to two years.

# Note 2:

As far as possible it is envisaged that the normal period of training shall be outside office hours. However, if the employee is required to undergo training during office hours, the period of training shall be treated as duty. If as a member of the Home Guards Organisation the employee is required to perform any duties and functions (apart from training) during office hours, the period of absence shall be treated as Special Casual leave. The employee shall be permitted to receive in addition to their civil pay, such allowance as may be paid to them under the Home Guards Rules. They shall not, therefore, be given any TA/DA separately for the training period or for the performance of any other duty which they are required to perform as member of the Home Guards Organisation.

The names of the persons recruited to the post of Peon in accordance with these regulations may be sent by the employing office/department to the concerned Commandant General, Home Guards of the respective State/ Union Territories to whom necessary instructions in this regard have been issued by the Director General, Civil Defence, Ministry of Home Affairs, New Delhi. The terms and conditions of the Home Guards training would be governed by such instructions as are laid down from time to time by the Director General, Civil Defence.

	2	3		4	rector General, Civil Defence.
12. Mali	*151 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200		Not applicable	Between 18 and 25 years
					v.
6	and the second s	7		8	9
Minimum 8th standard pass and possessing elementary knowledge of gardening and agri- cultural background.	1	lot applicable		Two years	100% by direct recruitment
10		-			11
Not applicab	ic			Doordarshan —Chairman Assistant Engineer/Progra equivalent rank in that office	ead Clerk/Accountant_Member
1	2	3		4	5
	*276 (2001)  *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200		Not applicable	Between 18 and 25 years
6	7			8	9
h standard pass	Not applicable			Two years	100% by direct recruitment
10			11		
Not applicable				Confirmation:	
			(1)	<ol> <li>Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the offices/station of Akashvani/ Doordarshan—Chairman</li> </ol>	

20	THE	GAZETTE	OF IN	DIA: EXTRAORDINARY	[PARTIII—Sec. 4	
					1	
				equivalent rank in that office	nme Executive or an officer o  Member	
			(3)	Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member		
				Directorate of Akashvani/Do		
				*(1) Deputy Director Administration (Headquarters) — Chairman		
			*(1)	Deputy Director Administrati	on-Member	
				Deputy Director Administration		
			*(3) Section Officer (Staff V. Section)—Member  *To be nominated by the concerned Deputy Director General			
				(Administration)	cerned Deputy Effector Certers	
1				•		
14. Packer/Mazdoor	2	3		4 .	5	
14. Packer/Mazdoor	*9 (2001)	Rs. 2550-		Not applicable	18—25 years	
£	*(Subject to variation	55-2660-			(The crucial date for deter-	
	dependant on	60-3200			mining the age limit shall	
	work-load)	*			be the last date up to which the Employment Exchange	
				*	are requested to forward	
*			_		nominations)	
6		7				
Essential:	Mad			8	9	
Some experience of packing		applicable		Two years	Direct recruitment 100% (in the	
and unpacking of par	cels and				initial stage the vacancie will	
dispatching of parcel	S				be filled up from amongst the	
Desirable:				74	casual labourers who have been	
Ability to read and write Hindi and English				-	working in the Prasar Bharati and are eligible for regularisa-	
and English					tion in Group 'D' posts in term	
					of instructions issued from	
					time to time).	
10						
Not applicable			(1)	(1) Head of stations/Kendra offices—Chairman		
			(2)	Assistant Com	es—Chairman	
10			(2)	Programme Francisco	or/Assistant Station Enginee	
				Station Director/Assistant S Office—Member	stant Engineer where Assistant station Engineer is the Head of	
			(3)	Administrative Officer/Head		
l Sefeire le	2	3		4	5	
15. Safaiwala	*412 (2001)	Rs. 2550-		Not applicable		
	*(Subject to variation	55-2660-			Between 18 and 25 years	
	dependant on	60-3200			(Relaxable upto 35 years)	
	work-load)				Note: The crucial date for determining the age limit	
					strait oc the closing day	
					rectipi of applicant	
				,	from candidates in India	

33 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 11 (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office-Member (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member For Directorate of Akashvani/Doordarshan: \*(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman \*(2) Deputy Director Administration—Member \*(3) Section Officer (Staff V. Section)—Member \*To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration). 1 2 5 17. Security \*1130 Rs. 2550-Not applicable 35 years Guard (2001)55-2660-\*(Subject to 60-3200 variation dependant on work load) 6 8 (1) Ex-serviceman who has put in not less Not applicable One years 100% by direct recruitment than 3 years of service in the Armed Forces and who has got 'Very Good' character assessment in the Army Discharge Certificate. CR (2) Ex-Police personnel who has put in not less than 3 years of service in the Central or State Police Forces and who has got 'Very Good' character assessment in his Discharge Certificate. 10 11 Not applicable For Confirmation: (1) Assistant Station Engineer/Assistant Director or an officer of equivalent rank in the Office/Station of Akashvani/ Doordarshan—Chairman (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office-Member (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member For Directorate of Akashvani/Doordarshan: \*(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman \*(2) Deputy Director Administration—Member \*(3) Section Officer Staff V. Section—Member

> ANIL BAIJAL, Executive Member [No. ADVT-III/IV/Exty/163/01]

\*To be nominated by the concerned Deputy Director General